18.2.19	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी P0 साहब अवकाश पर होने से अन्य पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 8.7.19 को पेश हो।
8.7.19	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी P0 साहब अवकाश पर होने से पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 16.12.19 को पेश हो।
16.12.19	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी P0 साहब अवकाश पर होने से अन्य पत्रावली दिनांक 18.12.19 को पेश हो।
18.12.19	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी P0 साहब अवकाश पर होने से बहस दिनांक 08.1.20 को पेश हो।
8.1.20	पत्रावली पेश हुई वकील उपस्थित पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 29.1.20 को पेश हो।
29.1.20	पत्रावली पेश हुई उपस्थित अधिकारी उपस्थित पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थी दि. 10-2-20 को पेश हो।
10.2.20	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी P0 साहब अवकाश पर होने से अन्य पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 19.2.20 को पेश हो।
19.2.20	पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी उपस्थित है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212, R... में वकील बहस सुनी गई। प्रार्थी का कथन है कि मौजा बामनवाड़ा के आ. न. 2791/1690 रकबा

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.10 16:25:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

क्रम | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

1 बिघा 13 बिस्वा भूमि उसने शंकर पिता श्री गौतमा भील से जरिये रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 9.01.12 को क्रय की है, तथा जमाबन्दी में वर्तमान में भूमि हमारे नाम है। उक्त भूमि पर बाउंड्री लगाने व भूमि सुधार का कार्य करते गये तो प्रतिवादी झगड़ा फसाद किया तथा रुकावट उत्पन्न की। अत: अप्रार्थीयों को स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे की वे हमारे बाउंड्री लगाने के कार्य में अवरोध उत्पन्न न करे, तथा हमारे शांतीपूर्ण उपभोग कार्य में दखल न दे। साथ ही प्रार्थी ने यह भी कथन किया की शंकर ने अगर उक्त भूमि को पुन: भी बेच दी है, तो वह saledeed subsequent होगी। तथा हमारी विक्रय पत्र पहले हुई है तथा हमारे नाम भूमि है, तथा इनके नाम जमाबन्दी में नहीं है। हमारा कहना है, इन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करे।

अप्रार्थी सं. 2 ने इसके जवाब में कहा की भूमि में उसका तो केवल एक प्लाट है, तथा उक्त प्लाट वाली भूमि का नगरपालिका द्वारा विधिवत संपरिवर्तन हुआ है, तथा उक्त संपरिवर्तित भूमि खरीदी है। पुनर्ग्रहण आदेश भी अप्रार्थी सं. 2 ने संलग्न लगाया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध है।

प्रार्थी ने आराजी का रकबा 1 Bigha तथा 13 Biswa वर्णित किया है तथा जमाबन्दी में भी इतना ही अंकन है, जबकि पुनर्ग्रहण आदेश जो की अप्रार्थी सं. 2 ने उपलब्ध करवाया है में ख.न. 2791/1690 का रकबा 2.13 Bigha दर्शाया है। स्पष्ट है कि [illegible] अलग-अलग है।

प्रार्थी [illegible] के साथ में दर्ज रिकार्ड है। अत: समस्त विवेचन, दस्तावेजों के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं की प्रार्थी की आराजी न. 2791/1690 रकबा 1 Bigha

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.10 16:25:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलमद हुक्म में
	13 बिस्वा खातेदारी भूमि है, तथा उसके उसके अधिकारों का उपयोग करने से नहीं रोका जा सकता है। अतः अप्रार्थी सं. 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि जब तक स्थाई निषेधाज्ञा के बाद का निर्णय नहीं हो जाता, प्रार्थी के शांति पूर्ण कब्जे में दखल न दे, तथा प्रार्थी की भूमि में प्रवेश न करें। निर्णय खुले न्यायालय सुना गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से दाखिल की जावे।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.10 16:25:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner